"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2018—फाल्गुन 11, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गिरजा मिश्रा, ध. प. श्री विजय कुमार मिश्रा उम्र 47 वर्ष निवासी- शशिबाला कन्या स्कूल के पास, कुन्दरा पारा, गुढ़ियारी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम गिरजा मिश्रा (Girja Mishra) दर्ज है जो कि सही है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं तथा उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गिरिजा मिश्रा (Girija Mishra) दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती गिरजा मिश्रा (Smt. Girja Mishra) रख ली हूं तथा मेरे द्वारा संलग्न अंकसूची में मेरी जन्मतिथी 10-05-1970 दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती गिरजा मिश्रा ध. प. श्री विजय कुमार मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गिरिजा मिश्रा (Girija Mishra)
पति-श्री विजय कुमार मिश्रा
निवासी-शशिबाला कन्या स्कूल के पास,
कुन्दरा पारा, गुढ़ियारी, रायपुर,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

गिरजा मिश्रा (Smt. Girja Mishra)
पति-श्री विजय कुमार मिश्रा
निवासी-शशिबाला कन्या स्कूल के पास,
कुन्दरा पारा, गुढ़ियारी, रायपुर,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. डी. वेंकटेश्वरी राव आत्मजा स्व. डी. भास्कर राव उम्र 34 वर्ष, निवासी-सपना टाकीज के पीछे, वार्ड नं.-37, दुर्गा पारा, पावर हाऊस भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे ऐ. टी. राव. के नाम से जाना, पहचाना जाता था तथा यही नाम मेरे राशन कार्ड व देना बैंक के अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम डी. वेंकटेश्वरी राव रख ली हूं. मेरा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. डी. वेंकटेश्वरी राव आत्मजा स्व. डी. भास्कर राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ऐ. टी. राव पिता-स्व. डी. भास्कर राव निवासी-सपना टाकीज के पीछे, वार्ड नं.-37, दुर्गा पारा, पावर हाऊस भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. डी. वेंकटेश्वरी राव पिता-स्व. डी. भास्कर राव निवासी-सपना टाकीज के पीछे, वार्ड नं.-37, दुर्गा पारा, पावर हाऊस भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीलम वेंकट नारायण ध. प. श्री नीलम आदिनारायण उम्र 41 वर्ष निवासी- स्थायी पता-6/75 पेद्दा चेरलोपल्ली, जिला प्रकाशम (आ. प्र.) हा. मु.-क्वा नं.- एम. आई. जी.-1/125 साडा कालोनी, जमनीपाली, तहसील कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम जी. वेंकट नारायण आत्मजा श्री नारायण था यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-04-1995 को नीलम आदिनारायण के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीलम वेंकट नारायण रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती नीलम वेंकट नारायण ध. प. श्री नीलम आदिनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जी. वेंकट नारायण पिता-श्री नारायण निवासी-क्वा. नं.-514, बाल्को नगर, कोरबा, तह. व जिला- कोरबा (छ. ग.) पिन-495684	श्रीमती वेंकट नीलम नारायण पति-श्री नीलम आदिनारायण निवासी-क्वा नं.- एम. आई. जी.-1/125 साडा कालोनी, जमनीपाली, थाना-दर्री, तहसील-कटघोरा, जिला- कोरबा (छ. ग.) पिन-495450

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अभनपुर जिला रायपुर (छ. ग.)

रा. प्र. क्र. 01 ब/113 (1)वर्ष 2015-16
ग्राम-अभनपुर, तहसील अभनपुर

अभनपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक/107/वा-2 /अ. वि. अ./ 2018.— एतद्द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रामसंजीवन चौरसिया पिता स्व. श्री रामानाथ चौरसिया (मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी) निवासी ब्लाक कालोनी अभनपुर द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट अभनपुर, तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ. ग.) को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूचित में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किया जाना है.

अत: इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट (न्यास) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट (न्यास) के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की 02 प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता एजेंट के माध्यम से दिनांक 24-02-2018 का उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों को किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 25-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुहर सहित जारी किया गया.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट अभनपुर, तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ. ग.
(2)	चल संपत्ति	:	कुल कीमती राशि 1, 50,700/- रु.
(3)	अचल संपत्ति	:	भवन कीमती राशि 6056934.42/-रु.

जोगेन्द्र नायक,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि. 2018/276 .—वस्तुत : महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. धनगंवा, पं. क्र. 552 दिनांक 05-12-2007 विकासखण्ड मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/953 दिनांक 23-03-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया

जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत. श्री आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. धनगंवा, पं. क्र. 552 दिनांक 05-12-2007 विकासखण्ड मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-1-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.